न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा (आर०ए०एस)

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
164 / 2018	31.05.2018	24/5/19

1 पूनाराम पुत्र सावलराम जाति जाट निवासी कुशलावा
2 भगवानी पत्नी हरूराम
3 लालाराम पुत्र हरूराम उम्र 17 वर्ष
4 अचलाराम पुत्र हरूराम उम्र 14 वर्ष

वादीगण सख्या 3 व 4 अवयस्क जरिये माता भगवानी पत्नी हरूराम जाति जाट निवासी पावूसर (कुशलावा) तहसील देचू जिला जोधपुर

वादीगण

बनाम

1. दीपाराम पुत्र गोपूराम
2. स्वरूपाराम पुत्र गोपूराम
3. भगवाना पुत्र गोपूराम जाति जाट निवासी पावूसर तहसील देचू
4. काली पत्नी स्वरूपाराम
5. ग्राम पंचायत कुशलावा जरिये सरपंच
6. सहायक अभियंता सा.नि.वि. फलोदी
7. तहसीलदार देचू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी स्वय उपस्थित ।
प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री इन्द्राराम बोस उपस्थित
प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के अधिवक्ता श्री महिपालसिह अनु. ।

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 , 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.04.2018 को तहसीलदार लोहावट को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि मौजा पावूसर के खसरा नम्बर 724 रकबा 39.16 बीघा व खसरा नम्बर 467 रकबा 11 बीघा , खसरा नम्बर 467 / 1 रकबा 7.14 बीघा में ग्राम विष्णुपुरा , खसरा नम्बर 724 रकबा 39.16 बीघा ग्राम पावूसर व खसरा नम्बर 467 रकबा 18.14 बीघा ग्राम विष्णुपुरा पटवार हल्का कुशलावा में उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे ।

प्रकरण में तहसीलदार देचू द्वारा दिनांक 06.09.2018 को बटवाडा प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

सहायक कलेक्टर शेरगढ
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में वादी स्वयं एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण की वहस सुनी गई। वहस एवं तहसीलदार देचू की रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तहसीलदार देचू की बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार आराजीयात का निम्नानुसार बॅटवाडा किया जाता है ।

क्र. सं.	खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	वादीगण की भूमि पूनाराम पुत्र सावलराम जाति जाट नि. कुशलावा 1/2 हि., भगवानी उर्फ भगवती पत्नी हरूराम 1/6 हिस्सा ना.बा. लालाराम पुत्र हरूराम 1/6 हिस्सा, ना.बा.अचलाराम पुत्र हरूराम 1/6 हि. वली माता भगवानी उर्फ भगवती पत्नी हरूराम जाति जाट निवासी पाबूसर वादीगण सख्या 1 से 4 का नक्शे में कलर हरा	724	17.06 बीघा	बा।।	1.10
2	प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 ग्राम **पाबूसर** दीपाराम 1/6 स्वरूपाराम 1/3 भगवानाराम 1/4 पि. गोपूराम काली पत्नी स्वरूपाराम 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार रहनः– ओ.बी.सी. बैक खीचन स्वरूपाराम व काली का हि. एवं रहन यूको बैक पीलवा भगवानाराम का हि. ग्राम पाबूसर प्रतिवादीगण 1से 4 कलर गुलाबी	724 724 724.	0.15 बीघा 6.08 बीघा 08.13 बीघा	बा।। बा।। बा।।	
3	ग्राम विष्णुपुरा खसरा नम्बर 467 में :– दीपाराम 1/6 स्वरूपाराम 184/561 भगवानाराम 83/348 पि. गोपूराम , काली पत्नी स्वरूपाराम 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार ग्राम पंचायत कुशलावा 2/ 187 खातेदार रहन :– ओबीसी खीचन स्वरूपाराम व काली का हिस्सा खसरा नम्बर 724 में भगवानाराम का हि. रहन यूको बैक पीलवा की क्षतिपूर्ति तक। प्रतिवादी सख्या 1 से 5 पीला	467	18.14 बीघा	बा।।	1.12
4	प्रतिवादी सख्या 5 व 6 :– ग्राम पचायत कुशलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग गै.मू. सडक की भूमि । प्रतिवादी सख्या 5 व 6 कलर काला	724	6.14 बीघा	गै.मू. सडक	

शेरगढ़

Scanned by CamScanner

गै.मू.सडक गै.मू. रास्ता पर चलने के कारण रकबा कम हुआ है । वास्तव में गै.मू. सडक मौके पर खसरा नम्बर 467 की बजाय 724 में चल रही है।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को मौजा **पाबूसर** , विष्णुपुरा में स्थित उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । बॅटवाडा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । फाईनल डिक्री जारी हो ।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया । प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(महावीरसिंह जोधा)
उप जिला कलक्टर
शेरगढ ,जोधपुर